

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे- I /

दिनांक:-13.08.2015

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेशों द्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। प्रथम का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में इन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पद कार्यग्रहण नहीं किया गया है:-

क्र.सं.	लिंक नम्बर	नाम स0ले030 (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग	नया पदस्थापन	आदेश संख्या/ दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	6563	बृजभूषण शर्मा	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर	कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम, जयपुर	63 / 2015-16 दिनांक 30.06.15
2.	1322	खेम चन्द अग्रवाल	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर	राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद्, जयपुर	59 / 15-16 दिनांक 30.06.15
3.	756	रामस्वरूप गुप्ता	आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, जयपुर	वित्तीय सलाहाकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सिवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर	59 / 15-16 दिनांक 30.06.15
4.	2766	सुरेन्द्र कुमार जसोरिया	विकास अधिकारी पंचायत समिति संगानेर, जयपुर	संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर	59 / 15-16 दिनांक 30.06.15
5.	548	अनिल कुमार जैन	आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर	59 / 15-16 दिनांक 30.06.15

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे विना कार्यग्रहण काल का उपभोग किए तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 17.08.2015 तक फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल द्वारा विभाग को भिजवावें। नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-I / 8166-84

दिनांक:- 13/08/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज० जयपुर।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी.....को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का माह अगस्त 2015 का वेतन भुगतान का विल नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण तक पारित नहीं करे।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करें अन्यथा स्थिति में अगस्त-2015 माह का वेतन भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. उपनिदेशक, (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। कार्यालयको निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवावें अन्यथा आदेशों की अवहेलना के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय ।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल ।


(के.एम. मीना)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)